रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 13, 2017/कार्तिक 22, 1939
No. 291] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 13, 2017/KARTIKA 22, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2017

सं. 40/2015–2020

विषयः विदेश व्यापार नीति 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) के पैरा 5.03 (क) में संशोधन और विदेश व्यापार नीति 2015–20 के परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 5 क में नए पैरा ग को शामिल करना।

फा. सं. 18/03/एएम–18/पी–5.—विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार तत्काल प्रभाव से विदेश व्यापार नीति 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक के उप–पैरा 5.03 (क) में संशोधन करते हैं और विदेश व्यापार नीति 2015–20 के आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 5 क में पैरा ग को शामिल करते हैं। **(परिवर्तन बडे अक्षरों में किए गए हैं)**

2. विदेश व्यापार नीति 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक का संशोधित उप–पैरा 5.03 (क) निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

पैरा 5.03 (क) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी परिशिष्ट 5क में आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र सनदी अभियन्ता से अन्तरसंबंध प्रमाण पत्र (सीईसी) के आधार पर ईपीसीजी प्राधिकार–पत्र जारी करेगा। पूँजीगत माल के संस्थापन के समय प्रत्याशित उपयुक्त अपशिष्ट, यदि कोई हो, भी अंतर–संबध प्रमाण–पत्र में सनदी अभियंता द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और ईपीसीजी प्राधिकार पत्र जारी करने के समय इसके शर्त पत्र में इसका उल्लेख किया जाएगा। **ऐसे प्रमाणपत्र को जारी करने हेतु, सनदी अभियन्ता केवल अपनी कार्यक्षमता के अधिकार क्षेत्र में कार्य करेगा।**

3. विदेश व्यापार नीति 2015–20 के आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 5 क पैरा ख के बाद नया पैरा ग को निम्नानुसार जोडा जाता है।

ग. मेरे पास इस प्रमाणपत्र को जारी करने हेतु संबंधित अधिकार क्षेत्र/कार्यक्षेत्र में आवश्यक कार्यक्षमता है।

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः सनदी अभियन्ता ईपीसीजी स्कीम के तहत अंतरसंबंध प्रमाणन को जारी करने के लिए केवल अपनी कार्यक्षमता के अधिकार क्षेत्र में कार्य करेगा।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 13th November, 2017

No. 40 /2015-2020

Subject: Amendment in Para 5.03(a) of the Handbook of Procedure (HBP) of Foreign Trade Policy 2015-20 and addition of new Para C in Appendix 5A of Appendices and Aayat Niryat Forms of FTP 2015-20.

F. No. 18/03/AM-18/P-5.—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy 2015-20, the Director General of Foreign Trade amends sub-para 5.03(a) of the Handbook of Procedure of Foreign Trade Policy 2015-20 and adds Para C to Appendix 5A of the Aayat Niryat Forms of FTP 2015-20 with immediate effect. **(Changes made are in bold letters)**

2. The amended sub-para 5.03(a) of Handbook of Procedure of Foreign Trade Policy 2015-20 shall read as under:

Para 5.03 *(a) RA concerned shall, on the basis of nexus certificate from an Independent Chartered Engineer (CEC) submitted by the applicant in Appendix 5A, issue EPCG authorisation. Reasonable wastage, if any, anticipated at the time of installation of capital goods will also be certified by the Chartered Engineer in the nexus certificate and the same would be mentioned in the condition sheet of the EPCG authorisation at the time of issue.* ***For issuance of such certificate, the Chartered Engineer shall act only in the domain of his/her competence.***

3. A new Para C is added after Para B of Appendix 5A of the Aayat Niryat Forms of FTP 2015-20 as under:

C. I have necessary competence in the relevant domain/field to issue this certificate.

4. **Effect of this Public Notice:** A Chartered Engineer shall act only in the domain of his/her competence for issuance of nexus certification under EPCG Scheme.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.11.14 15:42:25 +05'30'